17/04/25 अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्तागण द्वारा संयुक्त रूप आदेश 22 नियम 3 सी०पी०सी० अन्तर्गत की गयी प्रार्थना पत्र के कथनानुसार वादी सं० 03 सावन कुमार सं० मंगत सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके विधिक वारिसान को वादीगण 3.1 ता 3.5 के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने No objection Report अंकित की। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अनुसार वादी संख्या 3 की विधिक वारिसान को वादीगण क्र० 3.1 ता 3.5 के रूप में पक्षकार प्रतिस्थापित किया जाता है। पत्रावली वादी प्र०प० 15 प्रार्थना पत्र O-1-R-10 CPC हेतु [illegible] हेतु दिनांक 1/5/25 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested